रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092020-222129 CG-DL-E-30092020-222129

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3016]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2020/आश्विन 7, 1942 NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2020/ASVINA 7, 1942

No. 3016]

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2020

का.आ. 3379(अ).—केंद्रीय सरकार निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) नियम 1964 के नियम 3 के साथ पिठत निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 3 के अनुसरण में एतद्वारा निर्यात निरीक्षण परिषद का पुनर्गठन करती है और इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दो वर्ष की अविध के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को नामित करती है नामतः—

नाम और पदनाम					
धारा 3 की उप-धारा (1)के खंड (क) से (च) के तहत नामांकित सदस्य					
क्र.सं.	नाम	पदनाम			
(1)	(2)	(3)			
1	श्री एस. किशोर, आईएएस (डब्ल्यूबी: 1989),अपर सचिव,वाणिज्य विभाग,वाणिज्य	अध्यक्ष			
	और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली				
2	निदेशक,निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण,निर्यात निरीक्षण परिषद,नई दिल्ली	सदस्य सचिव			
3	महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो,नई दिल्ली	सदस्य पदेन			

4609 GI/2020 (1)

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

4	कृषि विपणन सलाहकार,भारत सरकार,नई दिल्ली	सदस्य पदेन			
5	वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशक,कोलकाता	सदस्य पदेन			
धारा 3 की उप-धारा (1)के खंड (1)के तहत नामित अन्य सदस्य					
6	निदेशक (निर्यात निरीक्षण)वाणिज्य विभाग,वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,भारत सरकार,	सदस्य			
	नई दिल्ली				
7	संयुक्त सचिव, मत्स्य विभाग, मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य			
8	अध्यक्ष,कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण,नई दिल्ली	सदस्य			
9	अध्यक्ष,समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण,कोच्चि	सदस्य			
10	अध्यक्ष,मसाला बोर्ड,कोच्चि	सदस्य			
11	संयुक्त सचिव,मांस और मांस उत्पाद,खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय	सदस्य			
12	संयुक्त सचिव, पौध संरक्षण, कृषि सहकारिता और किसान कल्याणविभाग, कृषि और	सदस्य			
	किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार				
13	मुख्य कार्यकारी अधिकारी,राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन	सदस्य			
	बोर्ड,एनएबीएल हाउस,प्लॉट 45,गुरुग्राम,हरियाणा				
14	सलाहकार (मानदंड),भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण,एफडीए भवन, कोटला	सदस्य			
	रोडबाल भवन के पास, नई दिल्ली - 110002				
15	निदेशक,राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान,करनाल	सदस्य			
16	अध्यक्ष,अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ,नई दिल्ली	सदस्य			
17	कुलपति,राष्ट्रीय खाद्य प्रोद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान,प्लॉट 97,सेक्टर	सदस्य			
	56,कुंडली,सोनीपत,हरियाणा				
18	मैसर्स मिनरल लैब सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, 4फफ्लोर, कर्मा पेस एवेन्यू, एफ.एल.गोमस	सदस्य			
	रोड, वास्को डी गामा - गोवा 403802 के नामित सदस्य				
19	मैसर्स मित्रा लिमिटेड,होल्डिंग नं. 22/107, वार्ड नंबर 9, पी.ओ. खानकांचक, पहली	सदस्य			
	मंजिल, इंडिया होटल के बगल में, हल्दिया – जिला, पूर्वा मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल-				
	721602के नामित सदस्य				
20	मैसर्स थैरेपेटिक्स कैमिकल रिसर्च कॉरपोरेशन, डी सं. 25-12-39, द्वितीय तल, गोदावरी	सदस्य			
	स्ट्रीट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने, टाउन ब्रांच, विशाखापत्तनम – 530001के नामित				
	सदस्य				

[फा. सं. 16012/45/2017-निर्यात निरीक्षण]

दिवाकर नाथ मिसरा, संयुक्त सचिव

नोट: भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनाँक 24 अगस्त1963 की का.आ.संख्या 22(अ) के अधिसूचना के तहत निर्यात निरीक्षण परिषद का मूल रूप से गठन किया गया तथा अंततः दिनांक 1 फरवरी 2018 के अधिसूचना सा.आ. संख्या 488(अ) के तहत पुनर्गठन किया गया। [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2020

S.O. 3379(E).—In exercise of the powers under Section 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) read with rule 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, the Central Government hereby reconstitutes the Export Inspection Council and nominates the following persons for a period of two year from the date of publication of this notification namely:—

	Name and Designation	
	Members nominated under clauses (a) to (e) of sub-section (1)	of Section 3
Sl. No.	Name	Designation
(1)	(2)	(3)
1	Shri S. Kishore, IAS (WB:1989), Additional Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, New Delhi.	Chairman
2	Director of Inspection and Quality Control, Export Inspection Council, New Delhi	Member Secretary
3	Director General, Bureau of Indian Standards, New Delhi	Member-Ex-officio
4	Agriculture Marketing Adviser to the Government of India, New Delhi	Member-Ex-officio
5	Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Kolkata	Member-Ex-officio
(Dther members proposed to be nominated under clause (f) of the sub-so	ection (1) of Section 3
6	Director (Export Inspection), Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, New Delhi	Member
7	Joint Secretary, Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying, Government of India, New Delhi	Member
8	Chairman, Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority, New Delhi	Member
9	Chairman, Marine Product Export Development Authority, Kochi	Member
10	Chairman, Spices Board, Kochi	Member
11	Joint Secretary, Ministry of Food Processing dealing with meat and meat products	Member
12	Joint Secretary, Plant Protection, Department of Agriculture, Cooperation & Farmer's Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India	Member
13	Chief Executive Officer, National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, NABL House, Plot 45, Gurugram, Haryana	Member
14	Advisor (Standards), Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road near Bal Bhawan New Delhi - 110002 India.	Member
15	Director, National Dairy Research Institute, Karnal	Member
16	President, All India Rice Exporters Association, New Delhi	Member
17	Vice Chancellor, National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management, Plot 97, Sector 56, Kundli, Sonipat, Haryana	Member
18	Nominee Member from M/s Mineral Lab Services Pvt Ltd., 4th Floor, Karma Paes Avenue, F.L.Gomes Road, Vasco da Gama - Goa 403802	Member
19	Nominee member from M/s Mitra SK Pvt. Ltd., Holding no. 22/107,	Member

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [PART II—Sec. 3(ii)]

	Ward no 9, P.O. Khanjanchak, 1st Floor , Beside India Hotel, Haldia - Dist. PurbaMedinipur, West Bengal- 721602	
20	Nominee member from M/s Therapeutics Chemical Research Corporation, D.No. 25-12-39, 2nd Floor , Gidevari Street,Opp SBI Town Branch, Visakhapatnam 530001	Member

[F.No.K-16012/45/2017-Export Inspection]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

Note.-The Export Inspection Council was initially constituted vide notification S.O.22(E), dated 24th August, 1963 published in the Gazette of India, Extraordinary and was lastly reconstituted vide Notification number S.O. 488(E) dated 1th February, 2018.